FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **घीसा पुत्र बिरदा जाति जाट निवासी ग्रामसील तहसीलअराई जिला अजमेर राज0**

–प्रार्थी

बनाम

- **करतार पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य**

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 आरटीए

ऑनलाइन नंबर **2025 /** ....

वकील प्रार्थी :– श्री योगेश शर्मा **वकील अपार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/2/26	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा** धारा 111,128 आरटीए **के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक** ...25/2/26... **को पेश हो।** (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **अराई**	
25/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब सुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक ...11/3/26... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	तामील रिपोर्ट प्राप्त
11/3/26	पत्रावली पेश हुई। तामीलशुदा सम्मन प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। बार-बार पृथक-पृथक शाम तक आवाजें लगवायी गयी। कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बैरोंगार सरकार को पक्षकार गई किये कोई आपत्ति नहीं। पृथक से आदेश लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर हो कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	राजस्व मानचित्र अनुसार (सीमाज्ञान) पक्षकार गई किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है पैरो. सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2026

घीसा पुत्र विरदा, जाति जाट, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

– प्रार्थी

वनाम

1. करतार पुत्र गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. प्रभु पुत्र रंगलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. पांचू पुत्र शिवनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. भूली पत्नि गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. मंगलचन्द पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. मथुरा पत्नि रंगलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. मोगा पुत्र मोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. रामचन्द्र पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. ललिता पुत्री रंगलाल जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. सन्तरा पुत्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. सम्पत पुत्री गोगा, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. सांवरा पुत्र मोडू जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. राधामोहन पुत्र दशरथ, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
14. रामचन्द्र पुत्र दशरथ, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
15. श्रीमान तहसीलदार महोदय, अरांई जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी योगेश शर्मा एडवोकेट

दिनांक 11/3/2026

प्रार्थीगण की ओर एक प्रार्थना पत्र वकील योगेश शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राज0का0अधि01956 के तहत पेश किया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 135 क्षेत्रफल 0.3964 हैक्टेयर (किरम चाही–1) वाके ग्राम सील, पटवार हल्का सान्दोलिया, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, जो सम्पूर्ण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काविज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 ग्राम सील स्थित खसरा संख्या 136 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेर एवं खसरा संख्या 137 क्षेत्रफल 5.6226 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, जो प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 135 के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त खसरान की खातेदार श्रीमती कमला का देहावसान हो चुका है जिनके निहित हिस्से पर उनके विधिक वारिसान के रूप में अप्रार्थी संख्या 11 सम्पत काविज काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 13 व 14 ग्राम सील स्थित खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 0.4369 हैक्टेयर भूमि पर वतौर खातेदार काविज है, एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार रिकार्डेड खातेदार है उक्त खसरा संख्या 134 की भूमि जो प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 135 के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 135 के दक्षिण व पूर्व दिशा में 414 की भूमि है जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के मध्य उपरोक्त भूमि का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 15 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, सान्दोलिया द्वारा दिनांक 29.05.2023 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 20.02.2023 को विवाद किया गया। दिनांक 20.11–2025 को प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थी के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थी के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। अप्रार्थी संख्या 15 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ग्राम सील, पटवार हल्का सान्दोलिया, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित खसरा संख्या 135 क्षेत्रफल 0.3964 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाकर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दिनांक 02.02.2026 को दर्ज किया गया तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद नोटिस तामिली अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सील, पटवार हल्का सान्दोलिया, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित खसरा संख्या 135 क्षेत्रफल 0.3964 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) का राज0 रिकोर्ड के अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/– रू पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रू जमा करवाने पर व मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जेनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तिधीन स्थिति को देखते हुए (एन एच में अवाप्तिधीन न हो) उक्त वाद का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चोक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)